जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर

क्र. स.	प्रश्न	उत्तर
	पंजीकरण	
1.	क्या कुल कारोबार में उन इनवर्ड सप्लाईज का मूल्य भी शामिल होगा, जिन पर रिवर्स चार्ज आधार (आरसीएम) पर कर देय है?	सीजीएसटी अधिनियम की धारा–2(6) देखें। कुल कारोबार में उन इनवर्ड सप्लाईज का मूल्य शामिल नहीं है, जिन पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर देय है
2.	अगर डीलर ने गलत पैन नंबर के साथ माइग्रेट किया है क्योंकि फर्म की स्थिति को प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में बदल दिया हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा?	ऐसी स्थिति में नये पंजीकरण की आवश्यकता होगी क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन होगा।
3.	एक कर योग्य व्यक्ति का व्यवसाय कई राज्यों में सभी राज्यों में सप्लाईज रुपये 10 लाख से नीचे है और वह कोई अन्तराज्यिक सप्लाई करता है। क्या वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है?	वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है अगर कुल कारोबार सम्पूर्ण भारत में 20 लाख (विशेष राज्य वर्ग में 10 लाख) से अधिक है या कोई अन्तराज्यिक सप्लाई करता है।
4.	क्या हम अस्थाई जीएसटीआईएन का उपयोग कर सकते हैं या हमें नया जीएसटीआईएन मिलेगा? क्या हम नया जीएसटीआईएन मिलने तक अस्थाई जीएसटीआईएन का उपयोग कर सकते हैं?	अस्थाई जीएसटीआईएन (पीआईडी) को 90 दिनों के भीतर अंतिम जीएसटीआईएन में बदला जाना चाहिए। हॉ अंतिम जीएसटीआईएन जारी होने तक अस्थाई जीएसटीआईएन का उपयोग किया जा सकता है। पीआईडी और अंतिम जीएसटीआईएन एक समान होंगे।
5.	क्या देशी शराब के व्यापारी को वेट से जीएसटी में स्थानान्तरित होने की आवश्यकता है क्योंकि शराब जीएसटी कानून स`बाहर है?	यदि किसी व्यक्ति को 100प्रतिशत सप्लाई पर जीएसटी लागू नहीं है तो उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
6.	सीजीएसटी की धारा 23 में उल्लखित कर के लिए दायी नहीं का क्या अर्थ है – शून्य रेटेड सप्लाई या सप्लाई का अबेटिड मूल्य?	कर के लिए दायी नहीं अर्थात जो सीजीएसटी /एसजीएसटी /आईजीएसटी अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है। कृप्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (78) के तहत परिभाषा देख।`
7.	विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं के लिए कार्य कर रहे ठेकेदार को सभी राज्यों के लिए अलग अलग पंजीकरण की आवश्यकता है? या प्रधान कार्यालय के राज्य में ही पंजीकरण पर्याप्त होगा?	सेवा प्रदाता का उस स्थान पर पंजीकरण होगा जहॉ से वह सेवाएं प्रदान कर रहा है
8.	क्या कुल कारोबार में सप्लाईज का वह टर्नओबर भी शामिल है जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा कर देय है?	वह आउटवर्ड सप्लाई जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है वह सप्लायर के कुल कारोबार में शामिल की जायेगी।
9.	यदि एक ही राज्य में दो सेज (SEZ) इकाइयां है तो क्या दो पंजीकरण करना आवश्यक है?	एक राज्य में एक ही पैन के तहत समस्त सेज इकाइयों को एक पंजीकरण की आवश्यकता है। कृप्या सीजीएसटी अधिनियम 8(1) को देखें।
10.	एक वकील जो रिवर्स चार्ज के तहत सप्लाई करता है क्या वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है?	ऐसे सप्लायर्स का पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है जो केवल वह सप्लाई कर रहे हैं जिन पर प्राप्तकर्ता आसीएम के तहत जीएसटी निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।
11.	दूसरे राज्य में पंजीकरण की आवश्यकता कब होती है? क्या नासिक से दूसरे राज्य दूसरे राज्य में सेवा देने पर दूसरे राज्य में पंजीकरण की आवश्यकता होगी?	यदि सेवा नासिक से प्रदान की जा रही हैं तो केवल महाराष्ट्र में पंजीकरण कराना होगा और अंतरराजिक सप्लाई पर आईजीएसटी का भुगतान करना होगा
12.	मैंने जीएसटी में नामांकन कर लिया है लेकिन आईएसडी के रूप में पंजीकरण करना चाहता हूँ। क्या में अब आवेदन कर सकता हूँ तथा इसकी प्रक्रिया क्या है।	आईएसडी के लिए एक नया पंजीकरण आवश्यक है।
13.	मैंने जीएसटी में नामांकन लिया है लेकिन मैं एसएसी कोड दर्ज करना भूल गया। मुझे क्या करना चाहिए? स्थानांतरण हो चुका है	फाइनल पंजीकरण के लिए अस्थाई आईडी को स्थानांतरित करते समय, फार्म आरईजी 26 दाखिल करने के दौरान भी इसे भरा जा सकता है।
14.	मेरे नाम पर एसटी नंबर है जिसका जीएसटी में माईग्रेशन हो गया है मैं इसे अपने प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म पर स्थानांतरित करना चाहता हूँ	इस स्थानांतरण को अस्थाई आईडी को फाइनल पंजीकरण के लिए परिवर्तित करते समयए फार्म आरईजी 26 भरने के दौरान किया जा सकता है।
15.	कृप्या बताएं कि रु 20लाख तक की किराये की आय पर जीएसटी लगेगा या कोई अन्य शुल्क लगता है?	जीएसटी केवल रु. 20 लाख से अधिक राशि के कुल कारोबार पर लागू है (विशेष राज्य वर्ग में 10 लाख) कुल कारोबार की गणना में आपके द्वारा की गई सभी सप्लाई को जोड़ा जायेगा।
16.	यदि केवल जीरो प्रतिशत जीएसटी की आइटम (अनाज व दालों) में व्यापार करता है तो जीएसटी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है अगर टर्नओबर 20 लाख से अधिक है?	100 प्रतिशत छूट वाली सप्लाई करने वाला व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।

17.	क्या यह सही है कि केवल शून्य रेटेड या करमुक्त सामग्री/सेवाओं के लिए पंजीकरण कराना होगा यदि उसका कारोबार 20 लाख से अधिक है?	100 प्रतिशत छूट वाली सप्लाई करने वाला व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है
18.	अगर स्वेच्छा से पंजीकृत हूँ हॉलांकि कारोबार 20 लाख से कम है तो क्या मुझे पंजीकरण के बाद की पहली सप्लाई से भुगतान करना पड़ेगा।	हॉ, आपको सामान्य करयोग्य व्यक्ति माना जायेगा।
19.	क्या एकही राज्य में एक ही इकाई द्वारा व्यापार और विनिर्माण के लिए अलग अलग पंजीकरण के लिए आवश्यकता है?	सभी गतिविधियों के लिए प्रत्येक राज्य में केवल एक ही पंजीकरण होगा।
20.	क्या पंजीकृत व्यक्ति को टीडीएस काटने के लिए एक अलग जीएसटीआइएन आबंटित किया जायेगा? (उसके पास पैन और टैन भी है)	टैक्स डिटेक्टर के रूप में पृथक पंजीकरण आवश्यक है।
21.	मैं तमिलनाडू में पंजीकृत हूँ और आंध्र प्रदेश के अपंजीकृत व्यापारी से सेवा प्राप्त कर रहा हूँ मुझे आरसीएम के तहत जीएसटी का निर्वहन करने के लिए आंध्र प्रदेश में पंजीकरण कराना चाहिए?	कोई भी व्यक्ति जो अन्तरराज्यीय कर योग्य सप्लाई करता है उसे पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इस मामले में आंध्रप्रदेश का डीलर पंजीकरण कराकर कर का भुगतान करेगा।
22.	क्या जीएसटी के तहत क्षेत्र आघारित छूट की कोई अवधारण है?	जीएसटी में कोई क्षेत्र आधारित छूट नहीं होगी।
23.	अगर महाराष्ट्र की कोई कंपनी दिल्ली में केवल एक ही आयोजन करती है क्या उन्हें दिल्ली में पंजीकरण करना होगा? क्या महाराष्ट से आईजीएसटी का भुगतान पर्याप्त होगा?	अगर आप दिल्ली में कोई सप्लाई प्रदान करते हैं तो ही आपको दिल्ली में पंजीकरण करना होगा वरना मुम्बई में पंजीकरण (और मुम्बई से दिल्ली तक की सप्लाई पर आईजीएसटी का भुगता) पर्याप्त है
24.	मैं कब तक जीएसटी पंजीकरण करा सकता हूँ?	अपंजीकृत व्यक्ति को अपने पंजीकरण दायित्व की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करना होगा
25.	क्या होगा अगर मैं जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए दायी नहीं हूँ लेकिन मैं सेवा कर के तहत पंजीकृत था?	आप 31 जुलाई 2017 को या उससे पहले अस्थायी आईडी को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
26.	क्या पंजीकरण के लिए एजेटों के कारोबार को प्रिंसिपल के कारोबार से जोड़ा जायेगा?	नहीं
27.	अगर मैं मौजूदा करदाता नहीं हूँ और जीएसटी के तहत नये पंजीकरण कराना चाहता हूँतो मैं ऐसा कब कर सकता हूँ?	आप 25 जून 2017 से जीएसटी पोर्टल gst.gov.in पर नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं
28.	क्या राजस्थान से खरीदी गई सप्लाईज पर राजस्थान में दिया गया एसजीएसटी, मध्यप्रदेश में एसजीएसटी के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?	एक राज्य के एसजीएसटी का उपयोग अन्य राज्य के आउटपुट कर देयता के निर्वहन के लिए नहीं किया जा सकता।
29.	एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग दूसरे राज्य में आईजीएसटी भुगतान के लिए कैसे किया जा सकता है	एसजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल आईजीएसटी देयता के भुगतान के लिए उसी जीएसओआईएन के तहत किया जा सकता है
30.	क्या एक राज्य के सीजीएसटी का इस्तेमाल दूसरे राज्य के सीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है	एक राज्य के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग उस राज्य के भीतर उसी जीएसटीआईएन के लिए ही उनके संबंधित सीजीएसटी / एसजीएसटी देनदारियों के भुगतान के लिए किया जा सकता है
31.	सेवा की सप्लाई के मामले में क्या उस राज्य को क्रेडिट दिया जाना चाहिए जहॉ से बिल जारी किया गया है या उस राज्य को जहॉ सेवा प्रदान की गई है?	कर उसी राज्य में एकत्रित किया जायेगा जहॉ से सप्लाई की जायेगी। सप्लायर आईजीएसटी चार्ज करेगा और प्राप्तकर्ता को आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा।
32.	सीमेंट और विद्युत के निर्माण में लगी हुई कंपनी विद्युत व्यवसाय से संबंधित क्रेडिट के रिवर्सल के लिए किस नियम का पालन करे?	जब सप्लायर करमुक्त और कर योग्य सप्लाईज दोनों प्रदान कर रहा है ऐसी परिसिथित में आईटीसी रिवर्सल के लिए विस्तृत आईटीसी नियमों में दिये गये हैं
33.	अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जारी क्रेडिट/डेबिट नोट में `जीएसटीएन में किस तरह दर्ज किया जायेगा और इन पर आईटीसी किस तरह ली जायेगी?	इनवॉइस की तरह, अपंजीकृत व्यक्ति की तरफ से क्रेडिट/डेबिट नोट केवल पंजीकृत व्यक्ति ही जारी करेगा। इसके अलावा प्राप्तकर्ता द्वारा GSTR2 में इसकी रिपोटिंग की जाएगी।
	इनवाइस	
34.	एक दुकान एक ही व्यक्ति (बी2बी) को कर योग्य और छूट वाले उत्पाद बेचते हैं तो क्या इनवॉइन और बिल ऑफ सप्लाईज को अलग अलग करने की आवश्यकता होगी?	ऐसे मामले में व्यक्ति कर योग्य इनवॉइस जारी कर सकता है और उसी में छूट वाली सप्लाई दर्ज कर सकता है

35.	क्या पंजीकृत डीलरों को अपंजीकृत डीलरों को सामान बेचते समय,उनका आधार /पैन दर्ज करना आवश्यक है?	जीएसटी के तहत ग्राहक के आधार/पैन विवरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
36.	क्या जीएसटी में बिक्री बिल में लगाए गए माल/परिवहन /पैकिंग जैसे सभी खर्च कर योग्य है? इन्हें बिल में कैसे चार्ज किया जाये?	सभी खर्चों को मूल्य में शामिल करना होगा और तदनुसार इनवॉइस जारी करने की जरूरत है। कृप्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 और बिल नियमों को देखें।
37.	क्या हम बिल्डिरों को डिलिवरी चालान पर निर्माण सामग्री भेज सकते है? और गतिबिधि पूरी होने के बाद बिल जारी कर सकते है?	यदि यह सामग्री निर्माण के लिए सप्लाई है तो बिल आवश्यक है। यदि सामग्री ऐसे उपकरण है जो निर्माण के लिए उपयोग किये जायेगें तो डिलिवरी चालान जारी किया जाना चाहिए
38.	जीएसटी में निम्नलिखित लेनदेन कैसे दर्ज करें 1. ट्रांजिट के दौरान सप्लाई में कमी 2. ग्राहक को कम मात्रा में मिलती है और वह कम भुगतान करता है।	सप्लायर ग्राहक को क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं
39.	क्या हमें आरसीएम पर जीएसटी दायित्व निर्वहन के लिए सेल्फ इनवॉइस जारी करना चाहिए या जीएसटी का निर्वहन वाउचर से भी हो सकता है?	आरसीएम देयताओं के लिए सेल्फ इनवॉइस जारी करना होगा।
कम्पॉजिशन योजना		
40.	मान लीजिए कि मैं जीएसटी कम्पॉजिशन योजना का लाभार्थी हूँ और मैं अपंजीकृत व्यक्ति से सामान खरीदता हूँ तो क्या मेरे द्वारा सरकार को जीएसटी का भुगतान किया जायेगा या नहीं?	हॉ, आप अपंजीकृत व्यक्ति से सप्लाई पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगें।
सीमा शुल्क		
41.	माल के आयात पर कौन से शुल्क होंगे?	सीमा शुल्क और लागू उपकर, आईजीएसटी, और जीएसटी कंपंशेसन उपकर। आयात के मूल्य पर सभी सीमा शुल्क और सीमा शुल्क शेष के बाद आईजीएसटी और जीएसटी कम्पंशेसन सेस का भुगतान किया जायेगा।
निर्यात		
42.	वर्तमान प्रक्रिया में नैपाल को निर्यात करने पर सेवा कर लागू है लेकिन वस्तुओं पर कोई कर नहीं । जीएसटी के साथ कौन सा कर लागू होगा?	नैपाल के लिए निर्यात प्रक्रिया अन्य देशों के समान होगी।
43.	क्या सेज के लिए कोई छूट है? जीएसटी में सेज लेनदेन कैसे होगा।?	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार एसईजेड को की गई सप्लाई शून्य रेटेड सप्लाई है
44.	सेज को माल की बिक्री और खरीद कैसे दर्ज की जायेगी? क्या यह निर्यात /आयात माना जायेगा?	सेज को की गई सप्लाई शून्य रेटेड सप्लाई होगी। सेज द्वारा डीटीए को की गई सप्लाई को आयात माना जायेगा।
45.	जीएसटी के तहत अन्तराष्ट्रीय निर्यात भाड़ा की स्थिति को स्पष्ट करें क्योंकि पीओपीएस नियमों के तहत इसे छूट दी गई थी अधिकांश देशों में यह शून्य रेटेड है?	आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 12 (8 या 13(8)) के अनुसार माल के परिवहन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई (पीओएस), सेवा प्रदात/सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान के आधार पर निर्धारित होगा। निर्यात को शून्य रेटेड सप्लाई माना जायेगा।
46.	जब सेज से माल आयात किया जा रहा है तो आईजीएसटी का भुगतान कौन करेगा?	इस तरह की सप्लाई को आयात माना जाता है और वर्तमान में लागू सीवीडी के स्थान पर आईजीएसटी लगेगा।
47.	सेज से सामान खरीदते समय आईजीएसटी का भुगतान कौन करेगा? आज आयातक बीसीडी और सीवीडी का भुगतान कर रहा है?	इस तरह की सप्लाई को आयात माना जाता है और वर्तमान में लागू सीवीडी के स्थान पर आईजीएसटी लगेगा।
रिफंड		
48.	मेरा निर्यात रिफंड सेवा कर में लंबित है उसका क्या होगा	पहले के कानूनों के तहत रिफंड केवल उन्ही कानूनों के तहत दिये जायेंगे।
49.	एक निर्यातक के रुप में, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरी वर्किंग कैपिटल रिफंड के रुप में अवरूद्ध नहीं होगी?	रिफंड आवेदन के 7 दिनों के भीतर अंतिम आधार पर 90 प्रतिशत रिफंड प्रदान करने हेतु कानून के उचित प्रावधान किये गये हैं
उपकर		
50.	कोयले पर जीएसटी का असर क्या होगा? कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर जारी रहेगा या हट जायेगा?	कोयला पर लगने वाले स्वच्छ उर्जा उपकर की जगह जीएसटी कम्पंशेसन उपकर लगेगा।
वापसी		

51.	अग्रिम प्राप्ति पर कर भुगतान का क्या होगा अगर अग्रिम को किसी भी परिस्थिति में वापस करना हो	अग्रिम धन वापसी को रिटर्न में समायोजित किया जा सकता है।
52.	क्या रजिस्टर्ड डीलरों को जीएसटी में अपंजीकृत डीलरों का बिक्री विवरण भी अपलोड करना है?	आम तौर परनहीं लेकिन 2.50 लाख से अधिक के बिल मूल्य वाले अंतरराज्यिक आपूर्ति के मामले में यह आवश्यक है
53.	फार्मा की रिटर्न में चार अकों वाले समान एचएसएन कोड लेकिन अलग कर दर वाली दो वापिसी सप्लाइयों को कैसे शामिल किया जाये?	रिटर्न में दर के आधार पर विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा है
	प्रदाय	
54.	कम मात्रा में लेन देन होने पर भी क्या हमें सभी रिवर्स चार्ज के लिए जीएसटी देयता को डिस्चार्ज करना होगा या मात्रा की कोई सीमा निश्चित है?	यह निर्णय लिया गया है कि अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त सप्लाई के संबंध में रु 5000 प्रतिदिन की छूट दी जायेगी। इस राशि से अधिक की सप्लाई के लिए एक मासिक समेकित बिल बनाया जा सकताहैं
55.	एफएमसीजी कंपनियों द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं को प्रचार के तौर पर मुफ्त दिये जाने वाले आइटम का क्या करना है?	इस प्रकार की सप्लाई के लिए कुल प्रतिफल पर कर लिया जायेगा।
56.	जीएसटी अधिनियम की धारा 9(4) का अनुपालन कैसे करें अगर पीओएस अपंजीकृत सप्लायर के दूसरे राज्य में है?	किसी भी व्यक्ति को अंतरराज्यिक सप्लाई करने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्राप्त करना है और इसीलिए ऐसे मामलों की धारा 9(4) लागू नहीं होगी।
57.	अपंजीकृत डीलर से सप्लाई पर आधार पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है तो क्या प्रशिक्षु का दिये गये वेतनमान भी आर सीएम के तहत आएंगे	प्रशिक्षुओं का दिये गये वेतनमान नियोक्ता –कर्मचारी लेनदेन होंगे इसलिए जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
58.	आयकर अधिनियम के अनुसार पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर्स को दिए गये वेतन पर जीएसटी लगेगा?	वेतन पर जीएसटी नहीं लगेगा।
59.	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(4)। अगर मैं एक अपंजीकृत स्टेशनरी दुकान से 100 रुपये का सामान खरीदता हूँ तो क्या मुझे आरसीएम के तहत भुगतान करने की आवश्यकता है?	यह निर्णय लिया गया है कि अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त सप्लाई के संबंध में रुपये 5000/– प्रति दिन की छूट दी जायेगी।
60.	एफएमसीजी कंपनियों द्वारा अंतिम उपभोक्ता को प्रचार के तौर पर मुफ्त दिये जाने वाले आइटम का क्या करना है? यदि कर योग्य है तो क्या आईटीसी की अनुमति है?	सप्लाई के लिए प्राप्त प्रतिफल पर कर देय है और तदानुसार आईटीसी भी उपलब्ध है।
61.	क्या तैयार माल के साथ सप्लाई की जा रही ड्रम जैसी वापसी योग्य पैकेजिंग सामग्री के मामले में जीएसटी लागू होगा?	जीएसटी केवल सप्लाई के लिए चार्ज किये गये मूल्य पर लगाया जायेगा।
62.	जीएसटी में स्क्रैप डिस्पोजल पर क्या कर लगेगा?	अगर डिस्पोजल व्यापार के रुप में या इसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है, तो इसे सप्लाई माना जायेगा।
63.	मैं मध्य प्रदेश से हूँ और महाराष्ट्र में एक ग्राहक का सेवा प्रदान करता हूँ । मैं यह काम महाराष्ट्र में एक सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करता हूँ, मुझे क्या कर चार्ज करना होगा?	आम तौर पर ये दो सप्लाई होंगी जहॉ मध्य प्रदेश का सप्लायर महाराष्ट्र के प्राप्त कर्ता से आईजीएसटी को चार्ज करेगा। जबकि महाराष्ट्र में सेवा प्रदाता मध्य प्रदेश के प्राप्तकर्ता से आईजीएसटी को चार्ज करेगआ
64.	यदि खरीददार का राज्य पंजाब है और सप्लाई की जगह और सप्लायर का राज्य एक ही (राजस्थान) है तो आईजीएसटी लागू होगा या सीजीएसटी /एसजीएसटी?	यदि सप्लाई की जगह और सप्लायर का स्थान एक ही राज्य में है तो यह राज्यांतर्गत सप्लाई होगी और सीजीएसटी /एसजीएसटी लागू होगा।
65.	सीजीएसटी –एसजीएसटी– आईजीएसटी के रुप में जमा नकद राशि का विभाजन क्यों आवश्यक है? क्या एक जीएसटीआईएन में जमा नगदी को धारा 39 के तहत रिटर्न में समायोजित किया जाना चाहिए	तीन लेवी तीन अलग अलग विधियों के अधीन हैं और उनका अलग अलग खाता रखना होगा।
66.	शून्य रेटेड, 0: कर योग्य और छूट योग्य माल और सेवाओं में क्या अंतर है? विशेषकर आईटीसी के संबंध में?	छूट योग्य सप्लाई में शून्य दर (0: कर योग्य) और गैर कर योग्य सप्लाई शामिल है।और ऐसी सप्लाई के लिए कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं है।
67.	क्या महाराष्ट्र में जीएसटी लागू होने के बाद प्रोफेशनल कर समाप्त कर दिया जायेगा।?	प्रोफेशनल कर माल या सेवाओं की सप्लाई पर लगने वाला कर नहीं है बल्कि पेशे में होने का कर है। प्रोफेशनल कर जीएसटी में समाहित नहीं है।
68.	नियोक्ता बस सेवा, भोजन कूपन, निवास पर टेलीफोन प्रदान करता है, अधिकारिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए वाहन, वर्दी और जूते देता है कोई जीएसटी लगेगा?	जहॉ इस तरह की सप्लाई का मूल्य उपहारों की प्रकृति में है ऐसे उपहारों के मूल्य पर एक वित्तीय वर्ष में 50000/– तक कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगा।
69.	कंपोजिट सप्लाई की परिभाषा और धारा 8 के तहत इसका विवरण अलग है। कृप्या इसकी व्याख्या करें।	धारा 2(30) बताती है कि कंपोजिट सप्लाई किसे माना जायेगा। जबकि धारा 8 बताती है कि एक कंपोजिट सप्लाई के मामले में कर दर मुख्य सप्लाई के समान होगी।
70.	क्या स्लंप सेल पर जीएसटी लगेगा? यदि हॉ तो किस धारा के तहत ?	इसे सामान्य सप्लाई ही माना जायेगा।

71.	आयकर अधिनियम के अनुसार पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर्स को दिए गये वेतन पर जीएसटी लागू है? पार्टनर्स फर्म के कर्मचारी नहीं हैं	वेतन पर जीएसटी नहीं लगेगा।
	स्थानांतरण	
72.	मैं जीएसटी में स्थानांतरण क्रेडिट का लाभ कैसे प्राप्त करूं?	स्थानांतरण क्रेडिट को स्थानांतरण नियमों के तहत संबंधित फार्म दाखिल करके प्राप्त किया जा सकता है।
73.	कृप्या उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र आधारित छूट 50/2003 पर स्पष्टता प्रदान करें	जीएसटी के तहत क्षेत्र आधारित छूट जारी नहीं रखी जायेगी। यह निर्धारित रीइम्बर्समेंट प्रणाली के अनुसार संचालित की जायेगी।
74.	हमने उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्मित किया लेकिन यूनिट के क्षेत्र आधारित छूट 50/2003 का लाभ उठाया। मेरे डीलरों के स्टाक का क्या होगा?	जीएसटी में डीलर को ऐसी वस्तुओं की सप्लाई पर दिए गये जीएसटी के 40 प्रतिशत /60 प्रतिशत की डीम्ड क्रेडिट प्राप्त होगी यदि सामान ब्रोडेउ और रु 25000 से अधिक मूल्य का है, तो जीएसटी का पूरा क्रेडिट ले सकते है।
75.	एक व्यापारी ऐसे निर्माता से माल खरीदता है जो उत्पाद शुल्क के लिए पंजीकृत नहीं है क्योंकि उसका कारोबार 1. 5 करोड़ से कम है, क्या ऐसे मामले में व्यापारी स्टॉक पर 40 प्रतिशत तक आईटीसी ले सकता है।	हॉ, अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा।
76.	मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास एक्साइज पेड इनवॉइस है क्या मैं 1 जुलाई 2017 के क्लोजिंग स्टॉक पर पूर्ण उत्पाद शुल्क का क्रेडिट ले सकता हूँ?	मौजूदा स्टॉक पर, जिससे संबंधित डयूटी पेइंग एक्साइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों,दी गई डयूटी का पूर्ण स्थानांतरण क्रेडिट मिलेगा जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) की शर्तों के अधीन होगा।
77.	यदि कोई व्यापारी सीधे निर्माता से खरीदता है और उसके पास एक्साइज डॉक्यूमेंट हैंतो क्या उसे पूर्ण उत्पाद शुल्क क्रेडिट या सीजीएसटी का 40: मिलेगा	मौजूदा स्टॉक पर, जिससे संबंधित डयूटी पेइंग एक्साइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों,दी गई डयूटी का पूर्ण स्थानांतरण क्रेडिट मिलेगा जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) की शर्तों के अधीन होगा।
78.	अगर एफएसडी सीधे निर्माता से खरीदता है और बिल में एक्साइज डयूटी सहित मूल्य लिखा है लेकिन एक्साइज डयूटी को अलग से नहीं दिखाया है, तो क्या उसे पूरा क्रेडिट मिलेगा?	मौजूदा स्टॉक पर, जिससे संबंधित डयूटी पेइंग एक्साइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों,दी गई डयूटी का पूर्ण स्थानांतरण क्रेडिट मिलेगा जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) की शर्तों के अधीन होगा।
79.	क्या उन व्यापारियों को पूर्ण उत्पाद शुल्क क्रेडिट मिलेगी जो सीधे निर्माताओं से खरीदते हैं और इनवॉइस में उत्पाद शुल्क अलग से दिखाया जाता है?	मौजूदा स्टॉक पर, जिससे संबंधित डयूटी पेइंग एक्साइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों,दी गई डयूटी का पूर्ण स्थानांतरण क्रेडिट मिलेगा जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) की शर्तों के अधीन होगा।
80.	जून 2017 के वेट रिटर्न में कोई राशि आगे नहीं ले जाई गई है और रुपये 50 लाख का मॉजूद है तो क्या हम उस स्टॉक का क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं?	सप्लायर जून 2017 के वेट रिटर्न के आईटीसी के क्लोजिंग बैलेंस को आगे ले जाने का पात्र होगा।
81.	उस स्टॉका का क्या होगा जिस पर 1 जुलाई से पहले ही वेट का भुगतान हो चुका है?	ऐसे स्टॉक पर सप्लायर जून 2017 के वेट रिटर्न के आईटीसी के क्लोजिंग बैलेंस को आगे ले जाने का पात्र होगा।
82.	अगर जून 2017 के रिटर्न में वेट रिफंड ले लिया गया है और जीएसटी में कोई शेष राशि जमा नहीं है तो फार्म सी जमा करने की स्थिति क्या होगी?	मौजूदा कानून के तहत दावा किया गया रिफंड मॉजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार की निपटाया जायेगा। सी फार्म स्थानांतरण के अधिनियम के नियम 1(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।
83.	कोई सेवा 28.6.2017 को प्रदान की गई थी लेकिन बिन 5. 7.2017 को बनाया जायेगा। क्या हमें सेवा कर या जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा?	यदि पोइंट ऑफ टैक्स नियत तारीख के बाद का है तो इस तरह की सप्लाई पर जीएसटी लागू होगा
84.	क्या हम ट्रांजिट में मौजूद माल पर क्रेडिट लेने के पात्र होंगे जो जीएसटी के बाद प्राप्त होगा?	जीएसटी कानून में ऐसे क्रेडिट के लिए कोई प्रावधान नहीं है
85.	स्थानांतरण की तिथि पर मौजूद वेट क्रेडिट बैंलेस का क्या होगा?	जून 2017 की रिटर्न में उपलब्ध वेट क्रेडिट बैलेंस एसजीएसटी क्रेडिट में स्थानांतरित किया जायेगा।
86.	फॉर्म एच के तहत डीम्ड निर्यात क्या होगा?	जीएसटी में फॉर्म एच नहीं होगा
87.	30 जून 2017 के क्लोजिंग स्टॉक पर कर का अंतर कौन वहन करेगा? निर्माता /डीलर या सरकार?	वैट रिटर्न में क्लोजिंग आईटीसी को जीएसटी में आगे ले जाने की अनुमति होगी।
88.	दूसरे राज्य में उत्पाद शुल्क,सीएसटी और प्रवेश कर पेड बिल से खरीदे गये स्पेयर पार्ट्स के क्लोजिंग स्टॉक का इनपुट क्रेडिट कैसे प्राप्त होगा?	सभी उपलब्ध इनपुट और डयूटी पेड डॉक्यूमेंट्स के लिए संबंधित सीजीएसटी/एसजीएसटी क्रेडिट उपलब्ध होगी। लेकिन सीएसटी का क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।
89.	एक व्यापारी ऐसे निर्माता से खरीदता है जो उत्पाद शुल्क में पंजीकृत नहीं है क्योंकि उसका कारोबार 1.5 करोड़ से कम है तो क्या ऐसे मामले में व्यापारी को आईटीसी का 40 प्रतिशत प्राप्त होगा?।	मौजूदा स्टॉक पर डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा बशर्ते स्थानांतरण के अधिनियम के नियम 1(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 140 (3) की शर्तों को पूरा किया जाये।

90.	क्या हम ट्रांजिट में मौजूद माल पर क्रेडिट लेने के पात्र होंगे जो जीएसटी के बाद प्राप्त होगा?	जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
91.	क्या स्वच्छ भारत सेस या कृषि कल्याण सेस का आईटीसी जीएसटी के तहत आगे ले जाया सकता है?	नहीं,
92.	क्या आयतित कोयला पर स्वच्छ उर्जा उपकर रुपये 400 प्रति मी.ट. जीएसटी में लागू रहेगा?	नहीं, स्वच्छ उर्जा उपकर निरस्त किया जा रहा है। कोयला पर 400 रुपये प्रति टन की दर से क्षतिपूर्ति उपकर लगेगा।
93.	क्या 1 मार्च 2015 से पहले का शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का क्लोजिंग बैलेंस जीएसटी में आगे ले जाया जा सकता है?	नहीं, यह जीएसटी में आगे नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत पात्र शुल्कों और करों की परिभाषा में शामिल नहीं है।
94.	क्या आप क्लोजिंग स्टॉक पर 40 प्रतिशत लाभ का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, एक साल की सीमा लागू है या नहीं?	1 वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त सभी स्टॉक के लिए डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा ।
95.	स्थानांतरण क्रेडिट कब तक उपलब्ध है? मुझे अपना इनपुट स्टॉक कहॉ घोषित करना है?	ट्रांजिशन क्रेडिट फॉर्म घोषित करने की समय सीमा नियत तिथि से 3 महीने तक है। कृप्या अधिक विवरण के लिए स्थानांतरण नियम देखें।
यूटीजीएसटी		
96.	क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जीएसटी होगा क्योंकि वहाँ पहले वैट नहीं था	हॉ, अंडमान और निकोबार के भीतर आपूर्ति पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लागू होगा।
अन्य		
97.	क्या हाई सीज सेल पर दो बार आईजीएसटी लगाया जायेगा?	आयात पर केवल एक बार आईजीएसटी लगाया जायेगा
98.	क्या जीएसटी में कृषि मंडी शुल्क (उत्तर प्रदेश में लगता है) को छूद दी जायेगी?	जीएसटी इस तरह के शुल्क से संबंधित नहीं है इसलिए जीएसटी इसे प्रभावित नहीं करता है।
99.	क्या 12 जुलाई 2017 से ई–वे बिल लागू है?	ई–वे बिल प्रक्रियाओं को अंतिम रुप दिये जाने तक, राज्यों में लागू ई–वे बिल की वर्तमाल प्रणाली जारी रहेगी।
100.	क्या मुनाफा विरोधी कानून के लिए सनसेट क्लॉज है?	हॉ, मुनाफा विरोधी के लिए सनसेट क्लॉज 2 साल का है।
पंजीयन		
101.	यदि मैं जीएसटी में अपंजीकृत सप्लायर से कच्चा माल खरीदता हूँ तो क्या मुझे आरसीएम (रिवर्स चार्ज व्यवस्था) के तहत जीएसटी देना होगा और क्या मैं इसका आईएसटी ले सकता हूँ?	हॉ, आपको विपरीत प्रभार (आरसीएम) के तहत जीएसटी देना होगा। यदि आप की पात्रता है तो उस दिये गये जीएसटी का आईटीसी ले सकते हैं।
102.	क्या एक अपंजीकृत डीलर किसी राज्य में माल की सप्लाई कर सकता है यदि उसका टर्न ओवर 20 लाख से कम है?	नहीं, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो, सप्लायर अंतरराज्यिक सप्लाई करने के लिए पंजीकरण लेने का उत्तरदायी है।
103.	मौजूदा करदाता यदि किसी दूसरे राज्य में ब्रांच ऑफिस का पंजीकरण लेना चाहता है तो वह नये पंजीकरण के तहत आयेगा या मौजूदा करदाता पंजीकरण के तहत आयेगा?	हर राज्य में अलग अलग पंजीकरण की आवश्यकता है।
104.	यदि केवल छूट प्राप्त (निल रेटेड) माल की अंतरराज्यिक सप्लाई करनी हो तो क्या पंजीकरण आवश्यक है?	यदि केवल छूट प्राप्त (निल रेटेड) माल की अंतरराज्यिक सप्लाई करनी हो तो पंजीकरण आवश्यक नहीं है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23 देखें।
105.	क्या किसी फ्रैन्चाइजर कंपनी को हर राज्य में पंजीकरण लेना आवश्यक है जहॉ उसका आउटलेट स्थित है?	नहीं, एक फ्रैन्चाइजर कंपनी को उस राज्य में पंजीकरण लेना आवश्यक नहीं है। जहॉ उसके केवल फ्रैन्चाइज स्थित है।
106.	यदि मैं आज नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ तो क्या मुझे जीएसटी में आवेदन करने से पहले टीआईएन लेना होगा अथवा सीधे जीएसटी का पंजीकरण ले सकता हूँ?	आप जीएसटी पंजीकरण सीधे www.gst.gov.in पर आवेदन जमा करके ले सकते हैं।
107.	एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ छूट प्राप्त उत्पादों में डील करती है तथा उसके पास जीएसटी पंजीकरण है तो क्या उसे रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?	यदि आप पंजीकृत हैं तो आपके लिए रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। यदि आप केवल छूट प्राप्त उत्पादों में डील करते हैं तो आप पंजीकरण को रद्द करवा सकते हैं।

108.	मेरी सभी आउटवर्ड सप्लाईज निर्यात सेवाएं हैं क्या इस स्थिति में पंजीकरण लेना अनिवार्य है?	हाॅ, यद्यपि निर्यात जीरो रेटेड है तो भी रिफंड का दावा करने हेतु जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है।
109.	यदि एक व्यक्ति एक पैन नंबर के साथ दो विभिन्न कंपनियां दो विभिन्न नामों से चला रहा है तो क्या वह दो जीएसटी पंजीकरण ले सकता है?	एक पैन धारक प्रत्येक राज्य में एक ही पंजीकरण ले सकता है किन्तु उसके पास विभिन्न कारोबार शीर्षका के लिए अलग अलग पंजीकरण लेने का विकल्प है।
110.	क्या जॉब वर्कर को पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? क्या कंपोजिशन स्कीम जॉब वर्कर को भी उपलब्ध है?	सकल टर्नओवर की सीमा से अधिक कराधेय सप्लाई करने वाले जॉब वर्कर को पंजीकरण लेना अनिवार्य है। कंपोजिशन स्कीम जॉब वर्कर के लिए उपलब्ध नहीं है वे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 143 का लाभ ले सकते हैं।
111.	मैं एक सेवा प्रदाता हूँ तथा एक ही राज्य में मेरा टर्न ओवर 50 लाख रुपये है क्या मैं कंपोजिशन स्कीम के योग्य हूँ?	रेस्तरां/केटरर के अलावा कोई भी सेवा प्रदाता कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकता।
112.	मैं एक आईस क्रीम निर्माता हूँ जिसकी बिक्री केवल एक ही राज्य में है। क्या मैं कंपोजिशन का विकल्प चुन सकता हूँ?	नहीं। निम्नलिखित श्रेणियों के माल जैसे कि – आईस क्रीम और अन्य खाने योग्य आईस चाहे कोको युक्त हो या नहीं – पान मसाला – तंबाकू और तंबाकू के विर्निमित विकल्प के निर्माताओं को कंपोजिशन स्कीम के लाभ उपलब्ध नहीं है।
113.	यदि मैं कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण लेता हूँ तो क्या मैं भविष्य में इससे बाहर आ सकता हूँ? यदि हाॅ तो मेरे स्टॉक का क्या होगा?	कम्पोजिशन के लाभार्थी किसी भी समय कर स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। वे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18 (1)(ग) के तहत स्कीम बदलने की तारीख को मॉजूद स्टॉक पर आईटीसी लेने के योग्य होंगे। नहीं। जिस दिन टर्न ओवर 75 लाख रुपये को पार कर जाता है
114.	मैने अभी साधारण करदाता की तरह पंजीकरण कराया है क्या मैं बाद में कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकता हूँ?	आप अगले वित्त वर्ष की शुरूआत से पहले कंपोजिशन स्कीम को चुनने का विकल्प दे सकते हैं जिससे अगले वित्त वर्ष की शुरूआत से आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकेंगें। यह ध्यान रखें कि वित्त वर्ष के मध्य में कंपोजिशन स्कीम को अपनाया नहीं जा सकता ।
115.	मैं एक कंपोजिशन पंजीकृत डीलर के रूप में पंजीकृत हूँ यदि मेरा टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा हो जाता है तो क्या मै बचे हुए वित्त वर्ष में भी इस स्कीम का लाभ ले सकता हूँ	नहीं। जिस दिन टर्न ओवर 75 लाख रुपये को पार कर जाता है उस दिन से करदाता कंपोजिशन स्कीम के लिए अयोग्य हो जाता है।
116.	यदि मै पहले पंजीकृत था परन्तु अब जीएसटी के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है तो मेरे अंतिम आईडी और संचित आईटीसी का क्या होगा?	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 29 (1) के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 24 (4) के तहत पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करना होगा। पंजीकरण रद्द होने की तिथि पर मौजूदा स्टॉक पर लिए गये आईटीसी की गणना करके उसे जमा करना होगा।
117.	मैं केंद्रिय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर में पंजीकृत था परन्तु स्थानांतरित न हो पाने की स्थिति में नया पंजीकरण ले लिया क्या मैं ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए योग्य हूँ?	नये पंजीकरण के आवेदन में, यदि आपने पिछले केंद्रिय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर का संदर्भ दिया है तो आप सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117 के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के योग्य हैं।
118.	मैं स्थानांतरित हो चुका हूँ और मुझे अंतिम आईडी मिल चुकी है परन्तु जीएसटीआईएन नहीं मिला है। क्या मैं माल अथवा सेवा अथवा दोनों सप्लाई कर सकता हूँ	अंतिम आईडी (पीआईडी) ही जीएसटीआईएन है आप इनवाइस पर (पीआईडी) को जीएसटीआईएन के रूप में दर्शा कर माल माल अथवा सेवा अथवा दोनों सप्लाई कर सकते हैं।
119.	मुझे एआरएन प्राप्त नहीं हुआ है या हुआ है परन्तु जीएसटीआईएन प्राप्त नहीं हुआ है तब मैं माल अथवा सेवा अथवा दोनों सप्लाई कर सकता हूँ	आप जीएसटीआईएन या /और एआरएन दर्शाये बिना माल अथवा सेवा अथवा दोनों सप्लाई 'बिल ऑफ सप्लाई' के जरिये कर सकते हैं। जीएसटीआईएन प्राप्त होने के बाद आपको जीएसटीआईएन दर्शाते हुए संशोधित इनवाइस जारी करना होगा। आपको यह सप्लाई रिटर्न में दर्शानी होगी तथा इस पर कर भी अदा करना होगा।
120.	मैं दिल्ली स्थित छूट प्राप्त माल का सप्लायर हूँ तथा कच्चा माल केरल से खरीदता हूँ केरल स्थित मेरा सप्लायर मुझे दिल्ली में अंतरराज्यिक माल की खरीद हेतु पंजीकरण लेने के लिए जोर दे रहा है क्या वह सही है?	नहीं। यदि आप शत प्रतिशत छूट प्राप्त सप्लाई में डील कर रहे है तो आप जीएसटी में पंजीकरण के उत्तरदायी नहीं हैं। अंतरराज्यिक खरीद के लिए जीएसटी में पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
121.	क्या छोटे खुदरा बिक्रेताओं के लिए डीलरो।/थोक बिक्रेताओं से खरीद करने हेतु जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है?	जीएसटी कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
	ट्रांजिशन	
122.	जीएसटी लागू होने के बाद, क्या ईओयू योजना जारी रहेगी या नहीं?	जीएसटी में ईओयू के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है यदि वे किसी अन्य उद्देश्य के लिए मौजूद हैं, तो इसके लिए एफटीपी को देखा जा सकता है।

123.	मैं अब तक एक्साइज में पंजीकृत नहीं था और अब कर दर की 18 प्रतिशत स्लैब में हूँ। अगर मेरे पास इनवाइस नहीं है तो क्या मैं स्टॉका का क्रेडिट ले सकता हूँ?	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140(3) के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117 (4) के तहत आपको स्टॉका पर डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा। यद्यपि आपके पास उत्पाद शुल्क भुगतान के दस्तावेज नहीं हैं।
124.	मुझे पहले पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं एसएसआई का लाभ ले रहा था और मैंने पंजीकरण नहीं कराया, मैं अब अपने पास उपलब्ध स्टॉका का क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ?	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140(3) के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117 (4) के अनुसार इनपुट पर शुल्क का भुगतान दर्शाने वाले दस्तावेज के आधार पर क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है।
125.	ऐसे कपड़ा व्यापारी, निर्माता जिन्होंने इनपुट स्टॉक पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया है, लेकिन जो अब अंतिम बिक्री पर जीएसटी लगा रहे हैं क्या उन्हें ऐसे स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा?	ऐसे स्टॉक जो उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं या छूट प्राप्त (निल रेटेड) हैं पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। कृप्या सीजीएसटी 2017 के नियम 117 (4) देखें।
126.	क्या कोई मसाला निर्माता 30 जून 2017 को स्टॉक में मौजूद पैकिंग सामग्री पर भुगतान किये गये केंद्रिय उत्पाद शुल्क का आईटीसी ले सकता है?	यदि उसके पास केंद्रिय उत्पाद शुल्क भुगतान दर्शाने वाले दस्तावेज हैं तो उसे उसके स्टॉका पर भुगतान किये गये केंद्रिय उत्पाद शुल्क का पूरा क्रेडिट मिल जायेगा।
127.	मैंने एक यात्रा के लिए होटल में अक्टूबर की बुकिंग की है इनवाइस पहले ही बन गया है यदि भुगतान 21 जुलाई को किया जाये तो क्या मुझे जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता होगी?	अगर इनवाइस 1 जुलाई 2017 से पहले बना है और भुगतान 1 जुलाई 2017 से पहले किया गया है तो जीएसटी लागू नहीं होगा।
128.	यदि किराया नियत तिथि से पहले प्राप्त हो गया है और व्यक्ति सेवा कर के लिए पात्र नहीं है तो क्या आरसीएम दायित्व उत्पन्न होता है?	जीएसटी कानून के तहत विपरीत प्रभार (आरसीएम) के आधार पर देयता एक जुलाई 2017 के बाद ही उत्पन्न होगी।
129.	क्या जीएसटी के तहत इनवाइस का कोई प्रारूप है यदि है तो कृपया उसका लिंक प्रदान करें?	इनवाइस का कोई विशेष प्रारूप नहीं है। सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 46 में शामिल किये जाने वाले विवरणों का उल्लेख है।
130.	क्या 1 जुलाई के बाद इनवाइस संख्या का क्रम बदल जायेगा या हम उसी क्रम को जारी रख सकते है?	यदि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 31 के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 46 में निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं तो पहले वाले क्रम को जारी रख सकते है।
131.	क्या मौजूदा यूटी–1 बॉड पर्याप्त होगा? क्या मौजूदा एआरई–1 फार्म लागू रहेगा?	सर्कुलर संख्या 4/4/2017– जीएसटी दिनांक 7.7.2017 में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा बॉड /एलयूटी 31 जुलाई 2017 तक वैद्य होंगे जिसके बाद बॉड /एलयूटी को नये निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा बॉड /एलयूटी के नये प्रारूप सीजीएसटी नियम के 2017 के नियम 96(क) के तहत निर्धारित किये गये हैं। उन वस्तुओं को छोड़कर जिस पर केंद्रिय उत्पाद शुल्क लागू है, एआरई–1 प्रक्रिया समाप्त की जा रही है।
132.	क्या हम कंपनी के उपयोग के लाये जाने वाले वाहनों, सौर पेनलों जैसे पूंजीगत व्यय पर आईटीसी प्राप्त कर सकते है?	आमतौर पर पूंजीगत माल पर आईटीसी उपलब्ध है अगर उसको कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यदि आप ड्राइविंग प्रशिक्षण या कारों की आपूर्ति के व्यवसाय में नहीं हैं तो कारों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। जिन वस्तुओं पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है उन की सूची सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17 में उपलब्ध है।
133.	यदि मेरा कारोबार 1.5 करोड़ से कम है तो क्या मुझे बिल पर एचएसएन कोड उल्लेख करने की आवश्यकता है?	1.5 करोड़ तक के कारोबार वाले कर दाताओं के लिए बिल पर एचएसएन कोड निर्दिष्ट करना एच्छिक है।
134.	हम एक्साइज में पंजीकृत डीलर हैं और हमारे पास एक वर्ष से अधिक पुराना स्टॉक है जिस पर एक्साइज का भुगतान किया गया है। क्या हम आईटीसी प्राप्त कर सकते है?	आप केंद्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दायर अपने अंतिम रिटर्न में दिखाये गये सेनवेट क्रेडिट की अंतिम बकाया राशि को आगे ले जाने के हकदार होंगे।
135.	मैं पहले पंजीकृत नहीं था अब मैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराना चाहता हूँ। क्या मैं अपने उत्पाद शुल्क के भुगतान वाले स्टॉक पर आईटीसी प्राप्त कर सकता हूँ?	कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आईटीसी की पात्रता नहीं है। आप के आईटीसी की शेष राशि रद्द हो जायेगी।
136.	मेरे पास एक्साइज पंजीकरण है और अब मैं कंपोजिशन स्कीम का प्रयोग करके माइग्रेट करना चाहता हूँ। आईटीसी का क्या होगा?	कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। आप के आईटीसी की शेष राशि रद्द हो जायेगी।
137.	मैने जून 2017 में एक सेवा के लिए भुगतान किया था लेकिन अगस्त 2017 में सेवा प्राप्त होने की संभावना है क्या मैं इसके लिए आईटीसी का लाभ उठा सकता हूँ?	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140(5) में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि होने पर इस तरह के इनपुट की सेवाओं पर क्रेडिट की पात्रता होगी।

138.	एक्साइज / सेवा कर के तहत केंद्रियकृत पंजीकरण वाले करदाताओं के माइग्रेशन के बाद उनके सेनवेट का क्या होगा?	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140(8) के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117(2) के अनुसाार 30.06.2017 तक की अवधि के लिए दायर रिटर्न में उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट सीजीएसटी क्रेडिट के रूप में स्वीकृत होगा।
	अन्य	
139.	ई– वे बिल नियम को सूचित किये जाने तक माल की अंतरराज्यिक सप्लाई के मामले में कौन से दस्तावेज का उपयोग किया जाना चाहिए?	कृप्या सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 48 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों का संदर्भ लें। माल की सप्लाई के लिए इनवाइस की तीसरी प्रति और सेवाओं की सप्लाई के लिए इनवाइ की दूसरी प्रति का उपयोग किया जा सकता है।
140.	अगर मैं यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता हूँ तो क्या मैं जीएसटी का भुगतान दो बार करूंगा? एक बार सेवा के लिए एक बार क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए	नहीं। संपूर्ण क्रेडिट कार्ड बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा यह केवल क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा लगाये गये शुल्क/कमीशन पर लगाया जाता है।
141.	हम वर्तमान में डिलिवरी चालान पर माल का परिवहन करते हैं और महीने के अंत में एक बिल बनाते हैं क्या जीएसटी के अंतर्गत भी ऐसा किया जा सकता है?	हर सप्लाई के लिए एक इनवाइस जारी करना आवश्यक है। सप्लाई के अलावा माल के किसी भी अन्य आवागमन के लिए (जैसे कि सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 56 में निर्दिष्ट है) डिलिवरी चालान जारी किया जा सकता है।
142.	क्या कुछ रेस्तरां द्वारा लगाये गये सर्विस चार्ज को एक सप्लाई माना जायेगा और इस पर कर देय होगा?	जीएसटी के अंतर्गत माल या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं। किसी भी अन्य सप्लाई के प्रतिफल की तरह सर्विस चार्ज पर भी जीएसटी देय होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सर्विस चार्ज वैद्यानिक प्रभार नहीं है तथा यह सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है।
143.	1 जुलाई 2017 को मेरे पास उपलब्ध स्टॉक का क्या करना है? क्या मुझे उस पर जीएसटी चार्ज करने की आवश्यकता है?	हॉ। ऐसे स्टॉक पर जीएसटी कराधेय है लेकिन यदि उस माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट उपलब्ध है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं।
144.	मैं एक लघु निर्माता हूँ जो एक ही क्षेत्र में स्थित दो निर्माण इकाइयों को साइकिल के पुर्जे सप्लाई करता हूँ। मैं हर सप्लाई के लिए एक इनवाइस बनाता हूँ और कार्टेज और लोडिंग हेतु 500 रुपये लेता हूँ। कार्टेज और लोडिंग के खर्चों पर कर की दर क्या होगी?	यह एक कंपोजिट सप्लाई है जहॉ मुख्य सप्लाई (माल) कार्टेज / अनलोडिंग /परिवहन व्यय के बिना नहीं की जा सकती है इसलिए कार्टेज और लोडिंग का खर्चों पर लागू जीएसटी की दर मूल सप्लाई अर्थात साइकिल के पुर्जों के समान ही होगी जैसे कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 8 के तहत प्रावधान है।
145.	मैं एक रेस्तरां चलाता हूँ जहॉ मैं शराब और भोजन परोसता हूँ मै अपने बिल कैसे बनाऊं? किस पर जीएसटी लगेगा और किस पर वेट?	चूँकि आप कराधेय और गैर–कराधेय दोनों सप्लाई प्रदान कर रहे हैं तो गैर–कराधेय सप्लाई (जो मानव उपभोग के लिए शराब है) पर वेट चार्ज करेंगे और अन्य सभी कराधेय सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करेंगे।
146.	टगर मैं एक स्टोर से कुछ सब्जियां और कोला की एक बोतल खरीदता हूँ जहॉ उसमें से एक करमुक्त है और दूसरी पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगना है क्या मुझसे पूरी राशि पर 40 प्रतिशत का कर लिया जायेगा?	नहीं। ये दो अलग अलग कीमतों पर दो अलग सप्लाई हैं एक ही बिल पर खरीदे जाने पर भी उनपर लागू जीएसटी दरों के अनुसार ही कर लिया जायेगा।
147.	मै एक गहने की दुकान पर जाता हूँ और 10 ग्राम सोने के बदले में 20 ग्राम का सेट खरीदता हूँ। जीएसटी 10 ग्राम पर चार्ज किया जायेगा या 20. ग्राम पर?	सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 27(क) के अनुसार ऐसे मामले में कराधेय प्रदाय का मूल्य पूरे लेनदेन का खुला बाजार मूल्य होगा इसलिए जीएसटी पूरे 20 ग्राम पर लागू होगा।
148.	एक कंपोजिशन डीलर के रूप में, अगर मैं एक अपंजीकृत व्यक्ति से माल खरीदता हूँ तो क्या मुझे सेल्फ इनवाइस जारी करना होगा?	हॉ। एक कंपोजिशन डीलर सेल्फ इनवाइस जारी करेगा क्योंकि उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। वह आईटीसी के लिए भी पात्र नहीं होगा।
149.	क्या मैं अपनी आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए अपने सीजीएसटी / एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग कर सकता हूँ?	सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। शेष राशि का उपयोग आईजीएसटी के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग एसजीएसटी के पेमेंट के उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग एसहीएसटी और आईजीएसटी के पेमेंट के उपयोग के लिए किया जा सकता है। सीजीएसटी के पेमेंट के उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। कृप्या सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 49 को देखें।
150.	क्या एक ही फर्म द्वारा एक ही राज्य में दिये गये कर कर उपयोग किसी अन्य राज्य में आईटीसी के रूप में किया जा सकता है?	नहीं। अगर एक फर्म एक से अधिक राज्यों में पंजीकृत है तो प्रत्येक ऐसे पंजीकरण को एक अलग पंजीकृत व्यक्ति के रूप में माना जायेगा। दो अलग अलग पंजीकृत व्यक्तियों के पास उपलब्ध क्रेडिट का परस्पर उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

अलंकित लिमिटेड–जीएसपी (जीएसटी सुविधा प्रदाता)

अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

फोनः +91–11–42541234, ईमेलः gst@alankit.com, वेबसाइटः www.alankitgst.com